बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं०:-3/अ०प्र०-1-15/2017 400 /पटना, दिनांक :- 18.2.22

कार्य प्रमंडल, डुमरॉव के अधीन नाबार्ड योजना अंतर्गत नावानगर प्रखंड में सतुहारी गाँव के सामने मुख्य कैनाल पर पुल निर्माण कार्य से संबंधित निविदा में निविदाकारों द्वारा फर्जी कागजात अपलोड करने के संबंध में निविदाकारों को अयोग्य घोषित किये जाने के अलावे कोई अन्य वांछित कार्रवाई नहीं किये जाने के लिए श्री अशोक कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 2192 अनु० दिनांक 04.08.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री अशोक कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता के स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया कि निविदा में फर्जी कागजात अपलोड करने के मामले में मुख्य अभियंता-1 की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा निविदाकारों को निविदा में अयोग्य किए जाने की कार्रवाई की गयी। समिति द्वारा इसके अतिरिक्त कोई अन्य कार्रवाई का निर्णय नहीं लिया गया। यह निर्णय तकनीकी बीड समिति के सदस्यों के सर्वसम्मति से किया गया न कि समिति के सदस्य के रूप में उनके स्वयं का यह निर्णय था।

3. श्री कुमार के स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त तकनीकी बीड समिति के अन्य सदस्य यथा श्री कमलेश चौधरी, तदेन मुख्य अभियंता-1 एवं श्री लक्ष्मीनारायण पासवान, तदेन अधीक्षण अभियंता से भी क्रमशः विभागीय पत्रांक 146 अनु० दिनांक 22.01.2019 एवं पत्रांक 143 अनु० दिनांक 22.01.2019 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

4. उक्त तीनों अभियंताओं से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग से करायी गयी। समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि मुख्य अभियंता-1 के जांच प्रतिवेदन में जिन संवेदकों के अनुभव प्रमाण पत्र जाली पाये गये उनके विरूद्ध SBD के कंडिका 4.5(A)(B) एवं 4.8 के आलोक में कार्रवाई करते हुए उन्हें निविदा में अयोग्य कर दिया गया। समिति द्वारा संवेदकों के विरूद्ध अन्य कोई कार्रवाई करने की अनुशंसा नहीं की गयी है। जांच प्रतिवेदन एवं विभागीय निदेश के आलोक में कार्यपालक अभियता, कार्य प्रमंडल, आरा द्वारा दोषी संवेदकों के विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गयी। इस आधार पर उक्त तीनों अभियंताओं के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य पाया गया है।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कमलेश चौधरी, तदेन मुख्य अभियंता-1, श्री लक्ष्मीनारायण पासवान, तदेन अधीक्षण अभियंता एवं श्री अशोक कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए प्रश्नगत् आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

(1)

अतः उक्त के आलोक में श्री कमलेश चौधरी, तदेन मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग सम्प्रति सेवानिवृत, श्री लक्ष्मीनारायण पासवान, तदेन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग सम्प्रति सेवानिवृत एवं श्री अशोक कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग सम्प्रति सेवानिवृत को प्रश्नगत् आरोप से मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

17.2.22

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–344/2008 401 /पटना, दिनांक :– 18.2.22

प्रतिलिपि :–सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमरॉव/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री कमलेश चौधरी, तदेन मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग सम्प्रति सेवानिवृत मुख्य अभियंता–3 ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री लक्ष्मीनारायण पासवान, तदेन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पता:–मोहल्ला–आम बगीचा, साधनापुरी, मकान सं0–8/216 रोड नं0–8डी, गर्दनीबाग, डाकघर–ज0पी0ओ0, थाना–गर्दनीबाग, पटना–800001 एवं श्री अशोक कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पता :–फ्लैट नं0–608, माधुरी इनक्लेव अपार्टमेंट, बाँस कोठी, पोस्ट–दीघानगर, जिला–पटना, पिनकोड–800011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.2.22
उप सचिव